एक नजर

दो करोड़ से अधिक लोगों को लगा टीका

भोपाल,(निप्र)। प्रदेश में अब तक दो करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाये जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा अब तक मध्यप्रदेश में दो करोड़ से अधिक खुराक लगायी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण महा अभियान के पांचवें दिन सोमवार को रात्रि आठ बजे तक प्रदेश में 4.48 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया। अधिकारी ने बताया कि महा अभियान में 30 जून के पहले ही प्रदेश ने 50 लाख टीके लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया। इसी बीच, संचालक, एनएचएम (टीकाकरण मध्यप्रदेश) डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि 29 और 30 जून को टीकाकरण का कोई भी सत्र आयोजित नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि एक जुलाई को केवल कोविशील्ड टीके के सत्र आयोजित होंगे। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा अवगत करा दिया गया है।

प्रभु ने की ईश्वर से प्रार्थना

न आए कोरोना की तीसरी लहर

भोपाल,(निप्र)। कोरोना वैक्सीन के मामले में पिछले दिनों जहां मध्यप्रदेश में पूरे देश में रिकॉर्ड बनाया था और सरकार के द्वारा जागरूकता फैलाए जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण सीमित संख्या में ही लोगों को वैक्सीन लग पाई। इस मामले में प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की प्रभुराम चैधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री लगातार भारत सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जल्द से जल्द पर्याप्त वैक्सीन मिले। जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लग सके। वहीं कोरोना की बीमारी के संक्रमण में तो कमी आई पर मौतें अभी भी बड़ी संख्या में हो रही है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इस मामले में प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति संक्रमित हैं उनका समुचित इलाज हो सके। तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारियां हैं इस पर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हम अस्पतालों में वेड की संख्या बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दूसरी लहर ना आए अगर आती भी है तो हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं।

मंत्री बोले हम पहुंचाओ खाद की शिकायत

भोपाल,(निप्र)। खरीफ की बोवानी में डीएपी खाद की कमी और कालाबाजारी की शिकायतों पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदोरिया ने कहा है कि एक दो जिले की शिकायत आई थी अधिकारियों से चर्चा सख्ती की है। सहकारिता मंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी सब्सिडी खाद पर पीएम नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। मंत्री भदोरिया ने कहा कि अब किसानो को 70 फीसदी खाद सहकारिता विभाग दे रहा है। 30 फीसदी कृषि विभाग दे रहा है। किसानों से निवेदन कोई दिक्कत हो हमे सूचना दे। सहकारिता मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि खाद की काला बाजारी रोकने के लिए हमने एक नया सिस्टम बनाया है।

100 फीसदी पारदर्शी तरीके से किसानों को खाद मिल रहा है। कहीं गड़बड़ी नहीं हो रही है। खाद की रेक आने से लेकर किसानो के खेत में खाद के पहुंचने तक एक एप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि कालाबाजारी अब बिल्कुल नही हो रही है। यदि शिकायत आती है तो सख्त एक्सन लिया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने किसानों से अपील की और कहा कि गड़बड़ी की तत्काल शिकायत करें। किसानों को कोई भी परेशानी आने पर करेंगे मदद।

एक जुलाई तक दस्तावेज अपलोड करें

विदिशा,(निप्र)। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती के तहत प्राविधिक चयनप्रतीक्षा सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम शामिल है और उनके द्वारा एक भी दस्तावेज अपलोड नही किए गए है ऐसे अभ्यर्थी एक जुलाई तक वैध दस्तावेज अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर मुहैया कराया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अतुल मुद्गल ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा 29 जून एक जुलाई तक एमपी ऑन लाइन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे।

शिवराज कैबिनेट का फैसला

ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर 50% सब्सिडी

सोलर पंप योजना को स्वीकृति, उपयोग हीन भूमि को नीलाम करेगी सरकार

भोपाल,(निप्र)। मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। जिसके अनुसार ऑक्सीजन प्लांट लगाने निर्देश जारी किए गए हैं। 50 प्रतिशत की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। वहीं सोलर पंप योजना को स्वीकृति और सहमति दी गई है। जहां पर बिजली नहीं हैं वहां सोलर पंपों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना तत्काल लागू किया जाएगा।

वहीं अन्य निर्णय में अनुपयोगी भूमियों को नीलाम करने की कार्रवाई होगी। इसके लिए लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग कार्रवाई करेगा। शासकीय भूमि का सदुपयोग करने के लिए नीलामी होगी। शहडोल बस डिपो की भूमि के नीलामी के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। अधिकतम बोली 11 करोड़ रुपये लगाई गई है।

सोलर पंप योजना को दी स्वीकृति

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति दी गयी। जानकारी के अनुसार प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिमंडल की बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति दे दी है। राज्य के सभी किसान इस योजना के पात्र रहेंगे। जिन इलाकों में बिजली की समस्या है, उन जगहों पर सोलर पंप योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने के मंत्रिमंडल ने निर्देश दिए हैं।

मंत्री समूह की अनुशंसाएं करेंगी ई-गवर्नेंस का मार्ग प्रशस्त-मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक वंदे-मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रि-परिषद की बैठक के पूर्व अपने संबोधन में कहा कि कोरोना संक्रमण के परिणामस्वरूप निर्मित परिस्थितियों में विभिन्न व्यवस्थाओं के सम्बंध में अनुशंसाओं के लिए नौ मंत्री समूह गठित किए गए हैं। मंत्री समूह द्वारा गंभीर चिंतन उपरांत अनुशंसा की जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चैहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण ने शिक्षा व्यवस्था को बहुत प्रभावित किया है। इन स्थितियों में शालेय शिक्षा, महाविद्यालयीन व्यवस्था, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल और आयुष आदि क्षेत्र की शिक्षा और प्रशिक्षण पर मंत्री समूह द्वारा विस्तृत ऑकलन और सर्व-संबंधित के अभिमत उपरांत अनुशंसाओं की गयी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन अनुशंसाओं की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गहन चिंतन उपरांत प्रस्तुत इन अनुशंसाओं से वर्तमान परिस्थितियों में व्यावहारिक समाधान निकलेगा।

डायल-100 सेवा का संचालन

कैबिनेट ने केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र (डॉयल-100) सेवा को निरंतर रखने के लिए पूर्व स्वीकृत निविदाकार बी.व्ही.जी. इंडिया लिमिटेड की अनुबंध अवधि 31 मार्च 2021 को समाप्ति उपरांत 3 माह विस्तारित करने की समन्वय में प्रदान की गयी स्वीकृति का अनुसमर्थन किया। पूर्व स्वीकृत निविदाकार बी.व्ही.जी. इंडिया लिमिटेड को एक जुलाई 2021 से 6 माह की अवधि अथवा नवीन निविदा की स्वीकृति की दशा में नवीन चयनित निविदाकार द्वारा डॉयल-100 सेवा के संचालन का कार्य प्रारंभ करने की तिथि तक, जो भी अवधि कम हो, पूर्व स्वीकृत अनुबंध की शर्तों पर न्यूनतम मजदूरी की दरों में हुई वृद्वि आदि के कारण अनुबंधित दरों में 15 प्रतिशत अधिक बढ़ी हुई दर से संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई।

कैबिनेट के अन्य निर्णय

कैबमंत्रि-परिषद ने वार्ड क्र. 5 गोरतरा रोड, जिला शहडोल स्थित शहडोल बस डिपो परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिए जारी निविदा में निविदाकारों को वित्तीय निविदा राशि एवं उनके द्वारा ई-नीलामी में लगाई गई बोली राशि को उच्चतम पाए जाने से एच-1 निविदाकार की निविदा बोली मूल्य 11 करोड़ 33 लाख 50 हजार रूपए की स्वीकृति तथा निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिए अनुबंध, रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।

15 जुलाई तक लागू रहेगी मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन

भोपाल,(निप्र)। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि 15 जुलाई तक मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन की दरों पर ही संपत्तियों की रजिस्ट्री होगी। यानी अगले 15 दिन तक मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन से ही संपत्ति की खरीद और ब्रिक्री होगी। इस संबंध में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले 1 जुलाई से नई गाइडलाइन जारी करने का निर्णय लिया था। 25 मई को पिछले वित्तीय वर्ष में लागू गाइडलाइन को 30 जून तक के लिए यथावत रखा था, लेकिन अब इसे 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।

1 जुलाई से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की दरें एवरेज 19 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की तैयारी थी। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश की 15 हजार लोकेशन ऐसी हैं, जहां पर गाइडलाइन 25 से 40 प्रतिशत तक बढ़ेगी, जबकि 39500 लोकेशन पर ये आंकड़ा 15 से 20 प्रतिशत है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन यानी बाजार दर 40 प्रतिशत तक बढ़नी थी। यानी भोपाल के एम्स, होशंगाबाद रोड, एमपी नगर समेत कई इलाकों में रजिस्ट्री नई दर से होगी। नए हाईवे और 5 साल से रेट नहीं बढ़ना भी बड़ी वजह है। मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में प्रेजेंटेशन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान की हरी झंडी मिलते ही 16 जुलाई से नई गाइडलाइन लागू करने की तैयारी है।

कॉमर्शियल टैक्स विभाग के सूत्रों की मानें, तो प्रदेश की कुल 1.17 लाख लोकेशन में गाइडलाइन में वृद्धि होगी। साल 2015-16 में सरकार ने 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की थी। इसके बाद पहली बार होगा। जब गाइडलाइन बढ़ेगी। साल 2019-20 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने गाइडलाइन 20 प्रतिशत तक इस उम्मीद में घटा दी थी कि मंदी की मार झेल रहे रीयल एस्टेट में फिर बूम आएगा। हालांकि साल 2016-17 से अब तक सरकार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी करती रही है।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण खत्म होने की स्थिति में- नरोत्तम

भोपाल। मप्र के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद फैला संक्रमण अब लगभग खत्म होने की स्थिति में आ गया है। श्री शर्मा ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से फैला संक्रमण अब लगभग खत्म होने की स्थिति में है।

पिछले 24 घंटे में 86 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि नए केस सिर्फ 38 आए हैं। संक्रमण दर 0.05 प्रतिशत तथा रिकवरी रेट 98.78 प्रतिशत के स्तर पर है। प्रदेश में कल कोरोना के 68 हजार टेस्ट हुए और अभी एक्टिव केस 630 हैं।

जाहिर सूचना

सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी बैंक का आई डी कार्ड 210308135600045 आई डी कार्ड नाम गुरुकुमार जाधव आयतवश कहीं गुम हो गया है। जिस किसी भी व्यक्ति को अगर आई डी कार्ड मिले, तो निम्नलिखित पते पर सूचित करें।

गुरुकृपा एजेंसी
302, रत्नमणि कार्पोरेशन तीसरी मंजिल 7/1 न्यू पलासिया, इंदौर
98260-31141

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. टांडा शाखा बाग

दिनांक25.06.2021

निविदा प्रपत्र

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित टाण्डा के पुराने जीर्ण शीर्ण भवन जहां है, जैसी स्थिति में गिराकर मय सामग्री के भूखण्ड करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म की अर्नेस्टमनी 5000/- हजार रुपए जमाकर अपनी दर दिनांक 4.7.2021 क दोपहर 2.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। उसी दिन दोपहर 3.00 बजे सक्षम खोली जावेगी।

नियम व शर्ते-

1- अस्वीकृत निविदा की अर्नेस्टमनी उसी दिन लौटाई जावेगी।
2- स्वीकृत राशि 7 दिवस में जमा होने के उपरान्त ही भवन व गोदाम की स्वीकृति लेकर तत्काल तोडकर मटेरियल ले जाना होगा।
3- निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल 50 प्रतिशत राशि जमा कराना होगी।
4-निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करना एवं निलामी विक्रय/स्थगित करने के समय पर अधिकार गठित कमेटी का रहेगा एवं कोई वाद होने पर न्यायालय उप रजिस्टार सहकारी संस्थाएं जिला धार में अधिकार क्षेत्र रहेगा।
5- भवन तोडने एवं सामग्री ले जाने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की रहेगी।

प्रशासक
आ.जा.सेवा सह.समिति मर्या. टाण्डा

आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नर्सें

भोपाल,(निप्र)। वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल की नर्सें बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी। इसकी जानकारी मंगलवार को प्रांतीय नर्सेस एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष मंजू मेश्राम ने दी। उन्होंने बताया कि हमारी बैठक में एक राय बनी है। सभी बुधवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगी। इधर अस्पताल प्रबंधन ने सोमवार से ही नर्सेस की हड़ताल को देखते हुए मरीजों को परेशानी से बचाने के लिए तीन दिन के लिए नर्सिंग स्टूडेंट्स और एनआरएचम की तरफ से तैनात नर्सेस की रोस्टर बनाकर ड्यूटी लगाई गई है। वहीं, यह बात भी सामने आ रही है कि हड़ताल को लेकर नर्सेस में भी एक राय नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि नर्सेस की बुधवार से शुरू हो रही हड़ताल कितनी सफल हो पाती है।

सोमवार को हड़ताल स्थगित- हमीदिया की 300 और सुल्तानियां की 100 नर्सेस ने अपनी मांगों को नहीं मानने पर सोमवार को एक दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान किया था। सोमवार सुबह नर्सेस अधीक्षक कार्यालय के सामने एकत्रित हुई। यहां हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक और गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन के आश्वासन के बाद नर्सेस काम पर लौट गई थी।

अब रुकेगी विद्युत मीटर रीडिंग की गड़बड़ी

भोपाल,(निप्र)। मप्र सरकार हर माह आपके घर में खपत होने वाली बिजली रीडिंग का सत्यापन कराएगी। इससे रीडिंग लेते समय होने वाली गड़बड़ी पकड़ में आएगी और गड़बड़ बिल जारी नहीं होंगे। इससे हजारों उपभोक्ताओं को फायदा होगा। अभी कई उपभोक्ता बिलों में गड़बड़ी से परेशान होते हैं। यह व्यवस्था मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल समेत सभी शहरों में मंगलवार से शुरू करेगी। जुलाई से मिलने वाले बिलों में गड़बड़ी नहीं होगी। अभी मीटर वाचकों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मीटर वाचक रीडिंग लेंगे। उसे रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे। मीटर का फोटो लेंगे। रीडिंग व मीटर का फोटो साफ्टवेयर में अपलोड करेंगे। यह रिकार्ड दूसरे जिले के किसी भी मीटर वाचक को मोबाइल में डाउनलोड एप पर आवंटित होगा। वहीं संबंधित मीटर वाचक पंच की गई रीडिंग व मीटर के फोटो में दिखाई दे रही रीडिंग का मिलान करेंगे। यदि दोनों माध्यमों से ली गई रीडिंग सही है तो यस का विकल्प चुनेगा और अंतर मिलने पर नो का विकल्प चुनेगा।

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/ 262/अ.क.री./ का. से./ 2021 ::विज्ञप्ति:: इन्दौर दिनांक 29-06-2021

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अन्तर्गत निम्नलिखित आवासीय कालोनी को कलेक्टर कार्यालय द्वारा सशर्त विकास अनुमति प्रदान की गई है :-

अ. क्र.	कालोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिये विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखंडो का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
	आवेदक अग्रवाल रियल इन्फ्रा एल. एल. पी. तर्फे भागीदार श्रीमति नीनादेवी अग्रवाल पति विनोद कुमार अग्रवाल पता- 5, यशवंत निवास रोड़ इंदौर कॉलोनी का नाम "एमराल्ड निर्वाणा" कॉलोनी	ग्राम- झलारिया तहसील- कनाडिया जिला- इंदौर स्थित भूमि सर्वे नंबर 25/1 कुल रकबा 6.349 हे. भूमि पर	भूखण्ड क्रं. 06 से 09 तक 17, 27 से 34 तक, 75 से 83 तक, 92 से 109 तक 119 से 126 तक, 145, 171, 189 से 193 तक, 219, 228 एवं 229 इस प्रकार 58 भूखण्डो का कुल क्षेत्रफल 9092 वर्गमीटर है । बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक एमपी 179132021ए1341414 दिनांक 07.04.2021

उपरोक्त कालम नंबर-4 में उल्लेखित 58 भूखंड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखंडो का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नही किया जावेगा । (कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रभारी अधिकारी
कालोनी सेल

कंट्रोल पर अनियमितता मिलने पर की सील

विदिशा,(निप्र)। कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा जिले में संचालित उचित मूल्य दुकानो के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की जांच हेतु दल गठित किए है। जांच दल के सदस्यों के द्वारा मंगलवार 29 जून को शासकीय उचित मूल्य दुकान हिनोतियां की जांच की गई। यहां विभिन्न प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर व मौके पर विक्रेता उपस्थित नही होने के फलस्वरूप उक्त उचित मूल्य दुकान को जांच दल के सदस्यों द्वारा सील्ड करने की कार्यवाही की गई है। जांच दल में शामिल नायब तहसीलदार सुनील गढवाल, सहकारिता निरीक्षक एमएस भदौरिया, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हुमा हुजूर द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसमें उल्लेख है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान हिनोतिया में उपस्थित उपभोक्ताओं के ब्यान दर्ज कर नियमानुसार दुकान का संचालन विक्रेता द्वारा नही करना पाया जाने पर उपरोक्त उचित मूल्य दुकान को जांच दल के सदस्यो द्वारा सील्ड कर प्रतिवेदन जिला कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

213 गौवंशों को गौशालाओं में शिफ्ट किया जाएगा

विदिशा,(निप्र)। कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा दिए गए निदेशों के अनुपालन में ऐसे गौवंश जो चौराहो अथवा सडक के किनारे बैठे या विचरण करते हुए पाए जा रहे है उन गौवंशो को गौ.शालाओं में शिफ्ट कराने की कार्यवाही तीव्र गति से संचालित की जा रही है। पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के उपसंचालक ने बताया कि वर्षाकाल में सडक पर विचरण्र कर रहे निराश्रित गौ.वंशो को गौ.शालाओं में स्थानांतरित करने व टेगिंग करने का कार्य संबंधित नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत के सहयोग से संपादित किया जा रहा है। जिले में अब तक 213 गौवंशो को नजदीक की गौ.शालाओं में शिफ्ट किया जा चुका है। निकायवार गौ.शालाओं में शिफ्ट किए गए निराश्रित गौ.वंश के संबंध में बताया गया कि विदिशा नगरपालिका परिसर क्षेत्र से 43, बासौदा नगरपालिका क्षेत्र के 81, इसके अलावा जनपद पंचायत ग्यारसपुर के 15, नटेरन के 30, नगर पंचायत कुरवाई के 20 तथा नगरपालिका परिषद सिरोंज के 24 गौवंशो को शिफ्ट किया गया है।

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विश्व बैंक यो.ज.रो. खंडवा में भूखंड क्रमांक ए-852 एलआईजी श्री हनुमानसिंह बैस पिता गुलाबसिंह बैस को आवंटित है। श्री हनुमानसिंह बैस की मृत्यु दिनांक 27.4.2021 को हो जाने से इनकी पुत्री श्रीमती नीना पति श्री चंद्रभान सिंह चौहान द्वारा उक्त भूखंड को अपने नाम नामांतरण करने हेतु इस कार्यालय में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार के सदस्यों का सहमति का शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर आवेदन किया गया है। श्री हनुमानसिंह बैस की मृत्यु उपरांत उक्त भूखंड इनकी पुत्री श्रीमती नीना पति श्री चंद्रभान चौहान के नाम नामांतरण करने में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था, परिवार के सदस्यों को कोई आपत्ति हो तो मय ठोस प्रमाण के विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित रूप में पेश करे। इस अवधि पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा तथा भूखंड नामांतरण की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संपत्ति अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग खंडवा

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विश्व बैंक यो.ज.रो. खंडवा में श्रीमती सुनीता बाथम पति श्री अरूण कुमार बाथम को भूखंड क्रमांक ए-747 ईडब्ल्यूएस पूर्ण मूल्य भुगतान पर आवंटित है। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड को विक्रय विलेख के माध्यम से श्रीमती स्वाति लश्करी पति श्री विक्रम लश्करी को विक्रय किया गया है तथा इस कार्यालय में नामांतरण हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को कोई आपत्ति हो तो मय ठोस प्रमाण के विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित रूप में पेश करें। इस अवधि पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा तथा भूखंड नामांतरण की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संपत्ति अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग खंडवा

GORANI INDUSTRIES LIMITED
CIN:- L28121MP1995PLC009170
Regd. Office: Plot No. 32-33, Sector-F, Sanwer Road, Industrial Area, Indore - 452015 (M.P.) - India
website- www.goraniindustries.com. email-id- gorani.industries@yahoo.com
Telephone No.- 0731-2723201 Fax- 2723200

Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2021

(RS. IN LAKHS except EPS)

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	Total Income from Operations	431.07	344.50	1839.80	2143.12
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items#)	20.66	11.56	91.29	90.08
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	20.66	11.60	91.29	90.08
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	13.89	6.96	65.99	64.91
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	14.96	(0.19)	67.06	57.76
6	Equity Share Capital	487.51	487.51	487.51	487.51
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited balance sheet of the previous year	-	-	89.59	22.52
8	Earnings per share (in Rs.) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations): (a) Basic (b) Diluted	0.28	0.14	1.35	1.33

Note:-
A. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange Website www.bseindia.com and on the Company' s Website www.goraniindustries.com
B. The impact on net profit/(Loss), total comrehensive income or other relevant financial items due to changes in accounting policies shall be disclosed by means of a foot note: N.A.
C. #- Exceptional items adjusted in the statement of profit and loss in accordance with Ind-AS Rules.

For and on behalf of the Board
Anil Gorani — Whole Time Director — DIN: 00055540
Sanjay Gorani — Managing Director — DIN:00055531
Date: 29/06/2021
Place: Indore